भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2624**
(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त**,** 2026**/**20 श्रावण 1948 (शक) को दिया जाना है)

**एसएसई पर सूचीबद्ध सामाजिक उद्यम और पारदर्शिता के लिए नीतिगत सुरक्षा उपाय**

**2624. श्रीमती फूलो देवी नेतम:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कुल कितने सामाजिक उद्यम और गैर-लाभकारी संगठन पंजीकृत या सूचीबद्ध हो चुके हैं;

(ख) कंपनियों द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाने वाले सीएसआर फंड के डायवर्जन या दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा क्या विशेष 'प्रकटीकरण आवश्यकताएं' और संपरीक्षा तंत्र अनिवार्य किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार छोटे और क्षेत्रीय एनजीओ को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे एसएसई के कड़े लिस्टिंग मानदंडों को पूरा कर सकें और कॉर्पोरेट फंडिग प्राप्त करने के योग्य बन सकें?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

क) सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) में पंजीकृत/सूचीबद्ध सामाजिक उद्यमों/गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) की संख्या नीचे दी गई है:

| **विवरण** | **कुल** |
|---|---|
| दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत सामाजिक उद्यम/एनपीओ की कुल संख्या | **195** |
| दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार सामाजिक उद्यम/एनपीओ की सूचीबद्ध परियोजनाओं की कुल संख्या | **16** |

ख) सेबी का एसएसई विनियामक फ्रेमवर्क सेबी (सूचिबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियमन) और समय-समय पर जारी एसएसई संबंधी फ्रेमवर्क के लिए परिपत्रों के माध्यम से एक व्यापक प्रकटीकरण और निगरानी तंत्र प्रदान करता है। इन् पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

1. **निधियों के उपयोग पर त्रैमासिक प्रकटीकरण:** एलओडीआर विनियमों के विनियम 91च के अनुसार, एक सूचीबद्ध एनपीओ, तिमाही आधार पर एकत्रित की गई निधियों के उपयोग के संबंध में एसएसई को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा: -
   - एकत्र किए गए धन की श्रेणी-वार राशि;
   - उपयोग किए गए धन की श्रेणी-वार राशि;
   - अप्रयुक्त शेष राशि।

   इसके अलावा, अप्रयुक्त राशि को एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा और इसे अन्य निधियों के साथ नहीं मिलाया जाएगा। निधियों के उपयोग का विवरण तब तक दिया जाएगा जब तक कि निर्गम आय का पूर्ण उपयोग नहीं हो जाता है या जिस उद्देश्य के लिए उन्हें एकत्र किया गया था वह प्राप्त नहीं हो जाता है।

2. **वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकता:** एलओडीआर विनियमनों के विनियमन 91ग के अनुसार, एसएसई पर पंजीकृत प्रत्येक एनपीओ, जिसमें एक एनपीओ भी शामिल है, जिसकी नामित प्रतिभूतियां एसएसई पर सूचीबद्ध हैं, को प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक या आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले अपना लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. **एसएसई पर वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट दाखिल करने से संबंधित आवश्यकता:** एलओडीआर विनियमनों के विनियमन 91ङ के संदर्भ में, एक सामाजिक उद्यम, जो या तो एसएसई (एसएसईज) के साथ पंजीकृत है या उसके माध्यम से धन जुटाया है, को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में एसएसई को एक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, उक्त वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट का मूल्यांकन सूचीबद्ध परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ता (मूल्यांकनकर्ताओं) को नियोजित करने वाले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाएगा और गैर-सूचीबद्ध परियोजना (परियोजनाओं) के लिए स्व-प्रमाणित किया जाएगा, बशर्ते कि वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट में विगत वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम व्यय का कम से कम 67% शामिल होगा।
4. **'सामग्री' घटनाओं के प्रकटीकरण को दाखिल करने संबंधी आवश्यकताएं:** एलओडीआर विनियमनों के विनियमन 91घ के संदर्भ में, एक सामाजिक उद्यम जिसकी नामित प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, को किसी भी घटना का प्रकटीकरण करना चाहिए जो इसके आउटपुट या परिणामों की नियोजित उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इस तरह के प्रकटीकरण जितनी जल्दी हो सके किए जाने चाहिए और किसी भी मामले में, घटना के घटित होने से 7 दिनों के बाद नहीं किए जाएंगे।

ग) सेबी के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए जागरूकता कार्यक्रम आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), आईसीएमएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) और आईसीएसआई (इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया) के तत्वावधान में गठित एसएसई और स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, ताकि शासन, पंजीकरण, सूचिबद्धता से संबंधित आवश्यकताओं के पहलुओं पर तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके।

एसएसई के लिए क्षमता निर्माण निधि (सीबीएफ) के तहत एनपीओ को समर्थन देने के लिए, नाबार्ड ने एसएसई पर सफल लिस्टिंग के लिए पहले 20 एनपीओ को वन-टाइम प्रोत्साहन प्रदान करने की मंजूरी दी है। अब तक, एसएसई पर सूचीबद्ध 11 एनपीओ को ऑनबोर्डिंग और लिस्टिंग-संबंधित खर्चों को ऑफसेट करने के लिए प्रत्येक को वन टाइम 5.00 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सीबीएफ के तहत कुल समर्थन 55 लाख रुपये है।

****